ले ज गुरमीत सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)
राज्यपाल/कुलाधिपति,
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।

सत्यमेव जयते

राजभवन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं0 : /जी0एस0(शिक्षा)/C16-1/2020
देहरादून : दिनांक 05 दिसम्बर, 2022

: आदेश :

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अधिनियम–2019 की धारा–10 की उपधारा–1 के परन्तुक में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या : 597/XXIV-C-1/2020–01(08)/2020 दिनांक 11 अगस्त, 2020 के द्वारा प्रो0 (डा0) नरेन्द्र सिंह भण्डारी को तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया था।

मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा प्रो0 (डा0) नरेन्द्र सिंह भण्डारी की कुलपति पद पर नियुक्ति रद्द किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन हेतु सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अधिनियम–2019 के अध्याय–तीन के नियम–10(7) में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति पद का दायित्व/कार्यभार अस्थायी रुप से **प्रो0 जगत सिंह बिष्ट, अधिष्ठाता–कला संकाय एवं शोध निदेशक** को उनके पद के साथ–साथ अग्रिम आदेशों अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए सौंपा जाता है।

ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या : 3280 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/C16-1/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. प्रो0 जगत सिंह बिष्ट, अधिष्ठाता–कला संकाय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
7. कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।